न्यायालय–प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, लखीमपुर–खीरी।

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 100 सन् 2022
कम्प्यूटर पंजीकरण संख्या 2379 सन् 2022
CNR No. UPLP 01005055 2022

1–गिरिजा दयाल राना आयु लगभग 42 वर्ष पुत्र कन्धईयालाल निवासी ग्राम बलेरा, थाना चन्दन चौकी पो0 खुसकिया, जिला खीरी। (शाखा प्रबन्धक जिला सहकारी बैंक शाखा तिकुनिया, थाना तिकुनिया, जिला खीरी)।

2–शोभित वर्मा आयु लगभग 36 वर्ष पुत्र सुरेश कुमार निवासी ग्राम सेलापुर, थाना–माधवगंज, जिला हरदोई। (कैशियर जिला सहकारी बैंक शाखा तिकुनिया, थाना तिकुनिया, जिला खीरी)।

.....आवेदक/अभियुक्तगण।

बनाम

उ0प्र0राज्य ..... अभियोगी।

मु0अप0सं0–05/2022
धारा–419, 420, 467, 468, 471, 409 भा0दं0सं0
थाना–तिकोनियां
जिला–लखीमपुर–खीरी।

10/08/2022

प्रार्थी/अभियुक्तगण गिरजादयाल राना एवं शोभित वर्मा की तरफ से थाना–तिकोनियां, जिला–लखीमपुर खीरी के मु0अप0सं0–05/2022, धारा–419, 420, 467, 468, 471, 409 भा0दं0सं0 में उपरोक्त अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र, अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

मैंने प्रार्थी/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्कों को सुना तथा प्रपत्रों का अवलोकन किया।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादिनी मुकदमा मोहिनी द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अं0धारा–156(3) दं0प्र0सं0 पर न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में थाना–निघासन, जिला खीरी में उपरोक्त मुकदमा अभियुक्तगण प्रबन्धक–मैनेजर, जिला सहकारी बैंक, तिकोनियां, खीरी, केन्द्र प्रभार व हैण्डलिंग ठेकेदार, व फर्जी खाता खोलकर धन निकालने वाले अज्ञात लोगों के विरूद्व पंजीकृत किया गया। प्रार्थना पत्र 156(3) दं0प्र0सं0 में वादिनी द्वारा अभिकथित किया कि वादिनी ग्राम गौरिया थाना निघ्ज्ञासन जिला खीरी की निवासी है। वादिनी का पति मजदूरी पेशा है। वादिनी दिनांक 04.11.2021 को राशन लेने सरकारी दुकान पर गयी तब वादिनी को कोटेदार द्वारा बताया गया कि तुम्हारा राशन कार्ड निरस्त हो गया है, क्योंकि तुमने सरकार को लाखों रूपये का गेहू व धान बेचा हे। वादिनी लखीमपुर आयी जानकारी पर पता चला कि वादिनी का फर्जी खाता जिला सहकारी बैंक तिकोनिया में बैंक कर्मचारियों तथा गेंहू व धान के सरकारी ठेके लेने वाले ठेकेदारों तथा कर्मचारियों के माध्यम से वादिनी का आधार कार्ड व फर्जी फोटो हस्ताक्षर लगाकर बैंक में खाता खोलकर चेक बुक जारी करायी गयी तथा खाता में फर्जी मोबाइल नम्बर अंकित किये गये सम्पूर्ण रिकार्ड बैंक में उपलब्ध है। वादिनी बैंक गयी जहां उसके बैंक स्टेटमेंट दिया गया। वादिनी ने अपने कागज गांव के कोटेदार के अलावा कभी किसी को नहीं दिये। जिला सहकारी बैंक, तिकोनिया के कर्मचारियों तथा धाद्यान्न कर्मचारियों तथा खाद्यान्न माफिया, केन्द्र प्रभारी क्रय केन्द्र व हैण्डलिंग ठेकेदारों ने कहीं से कागज की व्यवस्था करके वादिनी का फर्जी खाता खुलवाकर वादिनी से धोखा धड़ी की है तथा सरकारी धन का गबन किया है। वादिनी का

राशन कार्ड निरस्त न होता तो वादिनी को कभी इस धोखाधडत्री की जानकारी न होती। फर्जीबाड़ा लगभग 3 वर्षों से किया जा रहा है। कई लोग भूमिहीन है, उनको गेहूं व धान विक्रेता किसान दिखाकर करोड़ों रूपयों का गबन किया गया हे। वादिनी ने कभी सरकार को न तो गेंहू धान बेचा और न ही इसका रूपया प्राप्त किया। वादिनी के नाम से खुल फर्जी खाते में अब तक मु0–15,24,824.88/–रू0 जालसाजो बैंक कर्मचारियों व खाद्यान्न विभाग के हैण्डलिंग ठेकेदारों द्वारा निकाल लिये गये।

प्रार्थी/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र एवं शपथ–पत्र तथा अन्य प्रपत्रों को सन्दर्भित करते हुए यह कहा गया है कि प्रार्थी/अभियुक्तगण का यह अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र प्रथम है। प्रार्थी/अभियुक्तगण का अन्य कोई अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन नही है और न ही निरस्त किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्तगण ने कोई अपराध नहीं किया है, लगाया गया आरोप सर्वथा झूंठ है। उपरोक्त मुकदमा पुलिस द्वारा रंजिशन फर्जी तथ्यों पर आधारित दर्ज किया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट राय मशविरा करके दर्ज करायी गयी है। अभियुक्तगण के पास से मुकदमे से संबंधित कोई बरामदगी नहीं हुयी है। घटना का जनता का कोई साक्षी नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्तगण आपराधिक प्रवृत्ति के नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्तगण को पुलिस तलाश कर रही है। प्रार्थी/अभियुक्तगण अपनी जमानत देने को तैयार हैं। अतः प्रार्थी/अभियुक्तगण को दौरान मुकदमा अग्रिम जमानत पर रिहा करने की कृपा की जाय।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा कहा गया कि दौरान विवेचना मामले में आये साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण का नाम प्रकाश में आया है। अभियुक्तगण कथित बैंक के शाखा प्रबन्धक एवं कैशियर है, जिस बैंक में कथित बचत खाता को फर्जी हस्ताक्षर बनाकर खोले जाने का कथन किया गया है। अतः प्रार्थी/अभियुक्तगण का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र खारिज करने की कृपा की जाये।

दंड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेष संशोधन) अधिनियम 2018 के द्वारा धारा–438 दंड प्रक्रिया संहिता जिसे उत्तर प्रदेश शासन के नोटिफिकेशन संख्या 1058/79–वि–1–19–1(क) 20–2018, लखनऊ दिनांक 06 जून 2019 के द्वारा जोड़ा गया है, में विहित प्रावधान निम्न प्रकार हैः

“438. Direction for grant of bail to person apprehending arrest.-(1) Where any person has reason to believe that he may be arrested on accusation of having committed a non-bailable offence, he may apply to the High Court or the Court of Session for a direction under this section that in the event of such arrest he shall be released on bail; and that Court may, after taking into consideration, inter alia, the following factors, namely:-

(i) the nature and gravity of the accusation;

(ii) the antecedents of the applicant including the fact as to whether he has previously undergone imprisonment on conviction by a court in respect of any cognizable offence;

(iii) where the accusation has been made with the object of humiliating the applicant by having him so arrested;

either reject the application forthwith or issue an interim order for the grant of anticipatory bail:

xxx	xxx	xxx
xxx	xxx	xxx
xxx	xxx	xxx
xxx	xxx	xxx

xxx xxx xxx

(6) Provisions of this section shall not be application:-

(a) to the offences arising out of-

(i) the Unlawful activities (Prevention) act, 1967;

(ii) the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act 1985;

(iii) the Official Secret act, 1923;

(iv) the Uttar Pradesh Gangsters and Anti-Social activities (Prevention) Act, 1986.

(b) in the offences, in which death sentence can be awarded.

xxx xxx xxx"

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जय प्रकाश सिह बनाम स्टेट आफ बिहार ए0आई0आर0 2012 सुप्रीम कोर्ट 1676 के पैराग्राफ संख्या–13, 14, 15, 18 व 21 में निम्न विधि प्रतिपादित की गयी हैः

"13. There is no substantial difference between Section 438 and 439 Cr.P.C. so far as appreciation of the case as to whether or not a bail is to be granted, is concerned. How-ever, neither anticipatory bail nor regular bail can be granted as a matter of rule. The anticipatory bail being an extraordinary privilege should be granted only in exception cases. The judicial discretion conferred upon the court has to be properly exercised after proper application of mind to decide whether it is a fit case for grant of anticipatory bail.

14. In State of M.P. and another v. Ram Krishna Balothia and another, AIR 1995 SC 1198, this Court considered the nature of the right of anticipatory bail and observed as under:

"We find it difficult to accept the contention that Section 438 of the Code of Criminal Procedure is an integral part of Article 21. In the first place, there was not provision similar to Section 438 in the old Criminal Procedure Code... Also anticipatory bail cannot be granted as a matter of right. It is essentially a statutory right conferred long after the coming into force of the Constitution. I cannot be considered as an essential ingredient of Article 21 of the Constitution. And its non-application to a certain special category of offences cannot be considered as violative of Article 21."

15. While deciding the aforesaid cases, this Court referred to the 41st Report of the Indian Law Commission dated 24 th September, 1969 recommending the introduction of a provision for grant of anticipatory bail wherein it has been observed that "power to grant anticipatory bail should be exercised in very exceptional cases."

18. Parameters for grant of anticipatory bail in a serious offence are required to be satisfied and further while granting such relief, the Court must record the reasons therefore. Anticipatory bail can be granted only in exception circumstances where the court is prima facie of the view that the applicant has falsely been enroped in the crime and would not misuse his liberty. (See: D.K. Ganesh Babu v. P.Ti. Manokaran and another vs. Mohd. Sajid Husain Mohd. S.

Hjusain and others, (2008) 1 SCC 213; and Union of India v. Padam Narain Aggarwal and others, (2008) 13 SCC 305).

21. The court may not exercise its discretion in derogation of established principles of law, rather it has to be in strict adherence to them. Discretion has to be guided by law; duly governed by rule and cannot be arbitrary, fanciful or vague. The court must not yield to spasmodic sentiment to unregulated benevolence. The order dehors the grounds provided in Section 438 Cr.P.C. itself suffers from non-application of mind and therefore, cannot be sustained in the eyes of law.

(Emphasis supplied)

वादिनी मुकदमा ने अपने बयान अं0धारा–161 दं0प्र0सं0 में कहा कि अभियुक्त के पास आधार कार्ड व फोटो राशन कार्ड सही करने के लिये दियो गये थे, जिसने उपेन्द्र कुमार मिश्रा प्रभारी सरकारी क्रय केन्द्र तिकुनियां से मिलकर आधार कार्ड व फोटो का बेईमानी से सरकारी संपत्ति हड़पने के लिये जिला सहकारी बैंक तिकुनिया के शाखा प्रबन्धक गिरजादयाल राणा व कैशियर शोभित वर्मा को देकर सांठ गांठ करके फर्जी खाते खुलवा लिये गये और खातों का उपयोग क्रय केन्द्र पर विक्रीत धान व गेहूं का पैसा निकालने के लिये किया गया। जिस कारण वादिनी के राशन कार्ड को अपात्र कर निरस्त कर दिया गया। वादिनी को उक्त मामले की जानकारी तब हुयी जब वे राशन लेने राशन की दुकान पर गयी। अभियुक्त गिरजादयाल राना सहकारी बैंक शाखा तिकोनियां का शाखा प्रबन्धक है तथा अभियुक्त शोभित वर्मा सहकारी बैंक शाखा तिकोनियां का कैशियर है। अभियुक्तगण का नाम दौरान विवेचना प्रकाश में आया है। मामले में अभी विवेचना प्रचलित है। मामला अति गम्भीर प्रकृति का है। विवेचक द्वारा साक्ष्य संकलित किया जा रहा है। प्रार्थी/अभियुक्तगण पर आरोपित जुर्म की प्रकृति, मामले की गंभीरता और मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं में दिये गये निर्देशों को देखते हुए मेरी राय में प्रार्थी/अभियुक्तगण का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्तगण गिरजादयाल राना एवं शोभित वर्मा द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किया जाता है।

(रामेन्द्र कुमार)
प्रभारी प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
लखीमपुर–खीरी।
जे0ओ0कोड–यू0पी0 5996

दिनांकः 10–08–2022